न्यायालय भूमि सुधार उप-समाहर्ता, बेनीपुर (दरभंगा) Page 1 to 3

अलीहसन नदाफ
बनाम
अंचलाधिकारी व अन्य

भू० विवाद सं० 75/12-13.

C.C. issued
and 0-55/18/6/13

आदेश

12.2.13 यह वाद अलीहसन नदाफ पे० बेचाली नदाफ सा० हावीभौआड़ थाना बहेड़ा जिला दरभंगा द्वारा अंचल अधिकारी बेनीपुर व बहुल नोनिया पे० स्व० सुकल नोनिया सा० हावीभौआड़ के विरुद्ध बि० भू० वि० नि० अधि० 2009 के तहत विहित प्रक्रियानुरूप दाखिल परिवाद पत्र के आलोक में प्रारंभ की गई।

वादी द्वारा वाद पत्र में उल्लेखित है कि मौजा हावीभौआड़ खाता सं० 1462 खेसरा 4356 रकबा 0.4.5 भूमि का वाद की तकरारी भूमि है वादग्रस्त भूमि वादी को बंदोबस्ती द्वारा प्राप्त होने एवं निर्विवाद दखल कब्जा रहने का उल्लेख है। यह भी उल्लेखित है कि विपक्षीगण आवेदक की भूमि की निर्धारित सीमा को कभी कभी उलट पुलट करते रहते हैं तथा आये दिन कभी पूर्वी सीमा, कभी पश्चिमी सीमा को, कभी दक्षिणी सीमा को तो कभी उत्तरी सीमा को उजाड़ करते हैं। वादी को यह आशंका है कि विपक्षीगण आवेदक की बंदोबस्ती जमीन के कुछ अंशों को नाजायज रूप से अपने दखल कब्जा में करना चाहते हैं। अतएव आवेदक वादग्रस्त भूमि का सीमांकन कराकर उसे चिन्हित कराने का अनुरोध किया है साथ ही यदि विवादग्रस्त भूमि में अगर किसी अन्य के द्वारा अवैध अतिक्रमण व नाजायज दखल किया जाना प्रतीत हो तो उसे भी हटाने का अनुरोध किया गया है।

प्रतिवादी सं०1 अंचल अधिकारी, बेनीपुर के तरफ से लिखित द्वारा दाखिल प्रतिवेदन दिनांक 19.01.13 में उल्लेखित है कि यह वाद Bihar Land Reform Act 1950 के प्रावधानों के विपरीत है। तकरारी भूमि पूर्व में ही बिहार राज्य में सन्निहित हो चुकी है तथा उसकी कभी बिक्री नहीं हुई है। साथ ही यह भी उल्लेखित है कि तकरारी भूमि के क्रय विक्रय की अवैधानिक है तथा वादी व O.P.-2 आपस में मिलकर तकरारी

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बेनीपुर, दरभंगा

भूमि को हड़पना चाहते है जो Exclusively [illegible] की भूमि है।

प्रतिवादी सं० -2 के तरफ से विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से दाखिल प्रत्युत्तर दिनांक 11-12-12 में उल्लेखित है कि यह वाद प्रतिवादी आवेदक को तंग तबाह करने के उद्देश्य से लाया गया है। यह भी उल्लेखित है कि इस वाद में chain of title नया खाता सं० 1462 नया खेसरा 4356 रकबा 4 डी० के बिहत नहीं दर्शाया गया है तथा इस रैयत तमाम भूमि पर O.P.2 का खानदानीय घर है, पुराने समय का है जो अपने पूर्वजों के समय से ही चला आ रहा है। मौजा डाबी [illegible] का पुराना खाता 483 पुराना खेसरा सं० 2750 में [illegible] खास रकबा 0-6-13 कट्ठे दर्ज है जिसे भूतपूर्व मालिक कोठी [illegible] ने प्रतिवादी सं० -2 के दादा [illegible] को 1945 ई० में [illegible] में मौखिक बेच किया तत्कालीन में OP-2 के दादा अपने परिवार के साथ शांतिपूर्वक दखल कब्जा में आये तथा दखल कब्जा में है। यह भी उल्लेखित है कि O.P.2 की इस जमीन पर वादी का गलत नजर पड़ गया है तथा चुपचाप रैयत [illegible] के बिहत नया सर्वे अमलान की मेल में [illegible] गलत खाता खुलवा लिया है जिससे वादी को कोई मतलब और सरोकार नहीं है। वादी ने अभिवादी में चौहद्दी नहीं दर्शाया है जिसका वे मांग चाहते है। इसलिए यह अभिवादी अस्पष्ट (vague) है। वादी ने नया खाता सं० 1462 नया खेसरा 4356 रकबा 4 डी० का खाता खुलवा लिया है जो गलत है। उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर O.P.2 ने मुकदमा खारिज कर तथा सर्वे खतियान खाता 1462 RSP 4356 रकबा 4 डी० मौजा डाबी [illegible] पर उनका अधिकार घोषित करने का अनुरोध किया है।

वादी द्वारा अपने दावा के समर्थन में [illegible] कोठी [illegible] का RSP 5247, 5255, 4356, 4355 से संबंधित [illegible] दिनांक 9.6.08 की छायाप्रति, लगान रसीद सं० 806516 वर्ष 2009-10 [illegible], RS खतियान RSP 4356 [illegible] RS खाता 1462 रकबा 4 डी० की छायाप्रति दाखिल की गई है।

प्रतिवादी द्वारा अपने प्रत्युत्तर के समर्थन में list of documents द्वारा [illegible] कोठी द्वारा निर्गत Information [illegible] में उल्लेखित तथ्य की छायाप्रति दाखिल की गई है।

[illegible]

वादी के आवेदन के समर्थन में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य, O.P.-1 राज्य का खतियान प्रस्तुत एवं O.P.-2 के द्वारा दाखिल प्रस्तुत व उनके समर्थन में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन एवं सूक्ष्म परिशीलन किया। बेतिया अंचल द्वारा तत्कालीन भूमि का जांच प्रतिवेदन का भी अवलोकन किया। RSP 4356 खाता 86 रकबा 1482 [illegible] रकबा 04 डी० वादी के पिता के नाम से खाता खुला हुआ है परन्तु RS प्रविष्टि का कोई आधार नहीं है। राज्य के तरफ से DCLR द्वारा तत्कालीन भूमि को लेकर राज्य का माना है O.P.2 द्वारा RSP 2250 से [illegible] होने की बात का कोई आधार नहीं है। RSP 4356 व RSP 2250 [illegible] है गया है [illegible] वादी द्वारा कोई साक्ष्य उपस्थापित नहीं किया।

इस प्रकार वादी अपने वाद को तथ्य एवं प्रमाणिक रूप से साबित करने में असफल रहे।

अतः वाद खारिज किया जाता है।

लिखापित व संशोधित

12-2-13
भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता
बेतिया

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता बेतिया

12-2-13
भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता
बेतिया